न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 18 / 2021 / अपील

भॅवरलाल पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी ग्राम लिखमाकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अपीलान्ट

ब ना म

1 ग्राम पंचायत लिखमाकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

2 गिरदावर, गिरदावर हल्का खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

3 पटवारी, पटवार हल्का लिखमाकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 592 दिनांक 21.01.2013
बतस्दीक ग्राम पंचायत लिखमाकाबास

उपस्थिति–

1. श्री भंवर सिंह शेखावत वकील अपीलान्ट की ओर सें।
2. रेस्पो. संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

नि र्ण य दिनांक– 14.06.2022

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजियात ख.नं. 26 ता 32, 39 ता 46, 51 कुल किता 16 कुल रकबा 6.36 हैक्टयर वाके ग्राम लिखमाकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। भूमि ख.नं. 478, 479, 502 कुल किता 3 कुल रकबा 1.52 हैक्टयर वाके ग्राम लिखमाकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। भूमि ख.नं. 49, 50 कुल किता 2 कुल रकबा 0.63 हैक्टयर है तथा भूमि ख.नं. 47 रकबा 0.003 हैक्टयर है तथा भूमि ख.नं. 24, 25 कुल किता 2 कुल रकबा 2.00 हैक्टयर है जो वाके ग्राम लिखमाकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। अपीलान्ट अपील में उपरोक्त वर्णित दर्ज भूमियों के खातेदार कानाराम, मुकुन्दाराम पुत्रगण भोमाराम जाति जाट से उनका हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 03.02.2013 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 384 पृष्ठ संख्या 58 के क्रम संख्या 2013000054 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1729 पृष्ठ संख्या 43 से 51 क्रय कर मौके पर उसी दिन कब्जा प्राप्त कर लिया तब से लेकर आज तक अपीलान्ट का कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। अपीलान्ट के विक्रय पत्र का नामान्तकरण रेस्पोन्डेन्ट के द्वारा

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

विक्रयपत्र में दर्ज हिस्से के अनुसार नही भरा गया जो कि निम्न आधारों पर निरस्त होने योग्य है :—

(क) यह है कि अपीलान्ट ने अपील के पैरा संख्या 1 मे दर्ज भूमियों में विक्रेता का हिस्सा 1/36 उसका नामान्तरण तो हिस्से के अनुसार सही भरा गया है।

(ख) यह है कि अपीलान्ट ने अपील के पैरा संख्या 2 में दर्ज भूमियों में विक्रेता का हिस्सा 1/6 था सम्पूर्ण हिस्से का विक्रय अपीलान्ट के पक्ष में कर दिया परन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के द्वारा नामान्तरण दर्ज करते समय 1/6 की जगह 1/16 कर दिया जो कि विक्रय पत्र के विपरीत है जो निरस्तनीय होने योग्य है।

(ग) यह है कि अपीलान्ट ने अपील के पैरा संख्या 3 में उक्त नामान्तरण जॉच हेतु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 का समक्ष पेश किया है तो रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ने बिना विक्रय पत्र की जॉच किये ही अपनी जॉच रिपोर्ट में लिखा कि जॉच सही की गई अंकन सही है इसलिये भी उक्त नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है।

(घ) यह है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 ने नामान्तरण 592 तस्दीक करवाने हेतु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 ने समक्ष पेश किया तो रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 ने भी बिना विक्रय पत्र का अवलोकन किये ही तस्दीक कर दिया इसलिये उक्त नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है।

(ड) यह है कि उक्त नामान्तरण के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया है जिसकी अपीलान्ट को जानकारी नहीं हुई अपीलान्ट को उक्त राजस्व कर्मचारियों की गलती की जानकारी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर विक्रय पत्र के अनुसार जमाबन्दी में अपीलान्ट का हिस्सा गलत दर्ज होने की जानकारी हुई तब उक्त नामान्तरण की नकल लेकर श्रीमान् के यहा अपील पेश करना लाजमी हुआ। अंत में अपील प्रस्तुत कर यह इस्तदुआ चाही गई कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 592 दिनांक 21.01.2013 बतस्दीक ग्राम पंचायत लिखमाकाबास को खारिज कर विक्रय पत्र दिनांक 03.01.2013 के अनुसार तस्दीक करने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को रिमाण्ड किया जाना सादर प्रार्थनीय है।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

2 अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। अपीलांट की बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया कि अपीलाधीन नामांतकरण विक्रय पत्र के अनुसार नहीं भरा गया है क्योंकि विक्रय पत्र में विक्रेता का हिस्सा 1/6 था सम्पूर्ण हिस्से का विक्रय अपीलान्ट के पक्ष में कर दिया परन्तु नामान्तकरण दर्ज करते समय 1/6 की जगह 1/16 कर दिया जो विक्रय पत्र के विपरीत है। अतः अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 592 दिनांकित 21.01.2013 बतस्दीक ग्राम पंचायत लिखमा का बास को खारिज कर पुनः विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण तस्दीक किया जावे।

3. हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामांतकरण व विक्रय पत्र दिनांक 03.01.2013 का अवलोकन किया गया जिससें स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 592 व विक्रय पत्र दिनांक 03.01.2013 में विक्रेता के हिस्सा में भिन्नता है। अतः अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 592 निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामांतरण संख्या 592 दिनांक 21.01.2013 बतस्दीक ग्राम पंचायत लिखमा का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पुनः विक्रय पत्र दिनांक 03.01.2013 के आधार पर नामान्तकरण दर्ज कर तस्दीक करने की कार्यवाही कर न्यायालय को पालना सें अवगत करावे।
पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/6/22

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ